5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

61

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनर्रावलोकन कं. /10/ जिला कटनी
Rev - 1246-I/2010

1. सुशील पाण्डेय आत्मज स्वं. ओंकार प्रसाद पाण्डे
2. श्रीमती हीरा बाई आत्मजा स्वं. ओंकार प्रसाद पाण्डे
3. श्रीमती रीता बाई आत्मजा स्वं. ओंकार, प्रसाद पाण्डे
4. चतुभुर्ज त्रिपाठी आत्मज हरिप्रसाद त्रिपाठी

समस्त निवासी ग्राम पडवार, तह. बहोरीबंद जिला कटनी (म.प्र.)

...... आवेदकगण

विरूद्ध

म.प्र. शासन

...... अनावेदक

डी. चतुर्वेदी अभिभाषक
द्वारा आज दि. 3/9/10 को प्रस्तुत
अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

पुनर्रावलोकन अंतर्गत धारा 51 म.प्र. भू. राजस्व संहिता, इस माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण कं. 962/II/05 में पारित आदेश दिनांक 26.10.09 जानकारी दिनांक 19.8.2010 से असंतुष्ट होकर ।

D. Chaturvedi 3/9/10

मान्यवर

आवेदकगण की ओर से यह पुनर्रावलोक निम्न आधारों पर न्यायादान हेतु प्रस्तुत है :-

3.9.10

Xxxix(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

सुशील पाण्डेय एंव अन्य तीन ग्राम पडवार विरूद्व म0प्र0शासन

प्रकरण कमांक 1246–एक/2010 जिला कटनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षव अभि हस्ता
3-3-2016	तत्का0सदस्य , राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर व्दारा अपील प्रकरण कमांक 962/दो/2005 में पारित आदेश दिनांक 26–10–2009 के विरूद्व पुनरावलोकन हेतु मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 के अंतर्गत यह आवेदन दिया गया है। 2/ वस्तुस्थिति यह है कि अपर कलेक्टर जबलपुर व्दारा प्रकरण कमांक 56 बी 121/91 में पारित आदेश दिनांक 4–10–2004 के विरूद्व अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के यहॉ अपील कमांक 34/बी–121/2004–05 प्रस्तुत हुई। अपर आयुक्त व्दारा आदेश दिनांक 10.11.2004 से अपील निरस्त की गई। इस आदेश के विरूद्व राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर में अपील कमांक 962/दो/2005 प्रस्तुत की गई, जो तत्का.सदस्य व्दारा इस आधार पर निरस्त कर दी गई कि विचारण न्यायालय में मामला नगर भूमि सीमा अधिनियम (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम 1976 के तहत विचारित हुआ है इसलिये अपील प्रचलन योग्य नहीं। 3/ नगर भूमि सीमा अधिनियम (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम 1976 के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालयों व्दारा पारित आदेशों के विरूद्व धारा 33 के अंतर्गत अपील के निम्न प्रावधान है :– 1. सक्षम प्राधिकारी के आदेश के विरूद्व विहित प्राधिकारी को। विहित प्राधिकारी व्दारा अपील में पारित आदेश अंतिम है।	

Xxxix(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

सुशील पाण्डेय एंव अन्य तीन ग्राम पडवार विरूद्व म0प्र0शासन

प्रकरण कमांक 1246-एक/2010

जिला कटनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षत अभि हस्त
	धारा 34 के अनुसार पुनरीक्षण प्राधिकारी राज्य शासन है अर्थात दूसरी अपील का प्रावधान नहीं है। उक्त स्थिति में तत्का0सदस्य , राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर व्दारा अपील प्रकरण कमांक 962/दो/2005 मे पारित आदेश दिनांक 26-10-2009 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 के अंतर्गत दिया गया पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार योग्य नहीं होने से निरस्त किया जाता है। सदस्य	